न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 154 / 2021 (Bank Case)

GCMS No. - 2021 / 324

"मुथूट हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– टीसी नम्बर– 14 / 2074–7, मुथूट सेन्टर, पुनेन रोड, तिरूवनंतपुरम, केरल तथा कॉरपोरेट ऑफिस– 12 / ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रेसेनजो, प्लॉट नम्बर– सी 38 एंव 39, बान्द्रा कुर्ला कूम्पलेक्स, जी ब्लॉक, बान्द्रा (ईस्ट) मुम्बई एंव शाखा कार्यालय– 1डी, 10 / 45, ग्राउण्ड फ्लोर, श्री आशा पुरा एनक्लेव, चित्रकुट, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विमलेश सैनी।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. प्रेम चन्द गुर्जर पुत्र श्री फूलचन्द गुर्जर (ऋणी / बंधककर्ता)
   निवासी– मकान / खसरा नम्बर– 133, ग्राम–चार, ग्राम पंचायत– पोलाई कला, पंचायत समिति– सुल्तानपुर, तहसील– दीगोद, कोटा (राज.)
2. श्रीमती फुलन्ता बाई (सहऋणी)
   निवासी– मकान / खसरा नम्बर– 133, ग्राम–चार, ग्राम पंचायत– पोलाई कला, पंचायत समिति– सुल्तानपुर, तहसील– दीगोद, कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 07-06-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मुथूट हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– टीसी नम्बर– 14 / 2074–7, मुथूट सेन्टर, पुनेन रोड, तिरूवनंतपुरम, केरल तथा कॉरपोरेट ऑफिस– 12 / ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रेसेनजो, प्लॉट नम्बर– सी 38 एंव 39, बान्द्रा कुर्ला कूम्पलेक्स, जी ब्लॉक, बान्द्रा (ईस्ट) मुम्बई एंव शाखा कार्यालय– 1डी, 10 / 45, ग्राउण्ड फ्लोर, श्री आशा पुरा एनक्लेव, चित्रकुट, जयपुर (राज.) से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30.03.2018 को 3,06,278 / – (अक्षरेः तीन लाख छः हजार दो सौ अठहतर रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति भूखण्ड पट्टा संख्या– 15216, मकान / खसरा नम्बर– 133, ग्राम–चार, ग्राम पंचायत– पोलाईकला, पंचायत समिति– सुल्तानपुर, तहसील– दीगोद, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1727.5 वर्ग फीट हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में– आम रास्ता, पश्चिम में– खाते की भूमि, उत्तर में– मोडूलाल कुमावत का मकान, दक्षिण में– बल्लू सेन का मकान स्थित है, जो जरिये कार्यालय ग्राम पंचायत पोलाईकला पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला– कोटा मि.नं.– 7, दिनांक 24.05.2017 से श्री प्रेमचन्द गुर्जर पुत्र फूलचन्द गुर्जर के नाम से पट्टा जारी है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 16.04.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 3,39,824 / –(अक्षरे रूपये तीन लाख उनतालीस हजार आठ सौ चोईस मात्र) बकाया रकम दिनांक 16.04.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी व अंग्रेजी में दैनिक समाचार पत्र बिजनेस स्टैडर्ड में दिनांक 12.08.2021 को प्रकाशन भी कराया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी व अंग्रेजी में दैनिक समाचार पत्र बिजनेस स्टैडर्ड में दिनांक 12.08.2021 को प्रकाशन भी कराया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी व अंग्रेजी में दैनिक समाचार पत्र बिजनेस स्टैडर्ड में दिनांक 12.08.2021 को प्रकाशन भी कराया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति भूखण्ड पट्टा संख्या– 15216, मकान/खसरा नम्बर– 133, ग्राम–चार, ग्राम पंचायत– पोलाईकला, पंचायत समिति– सुल्तानपुर, तहसील– दीगोद, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1727.5 वर्ग फीट हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में– आम रास्ता, पश्चिम में– खाते की भूमि, उत्तर में– मोडूलाल कुमावत का मकान, दक्षिण में– बल्लू सेन का मकान स्थित है, जो जरिये कार्यालय ग्राम पंचायत पोलाईकला पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला– कोटा मि.नं.– 7, दिनांक 24.05.2017 से श्री प्रेमचन्द गुर्जर पुत्र फूलचन्द गुर्जर के नाम से पट्टा जारी है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 07.06.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)